



Presented on : 28-11-2022
Registered on : 28-11-2022
Decided on : --
Duration :

**IN THE COURT OF
Civil Judge (S.D) AT ,Jalaun
Presided Over by Sri Rajeev Saran**

Original Suit/387/2022

न्यायालय-सिविल जज (सी0डि0), जालौन स्थान उरई।

मूलवाद संख्या-387/2022

श्रीमती फहमीदा खातून

बनाम

श्रीमती रसीदा खातून आदि।

CNR No-UPJL050006312022

J.O.Code No.-UP1861

दिनांक: 10.05.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित हैं।

पत्रावली वाद बिन्दु विरचन के स्तर पर नियत है। वाद बिन्दु विरचित किये जाने से पूर्व पक्षकारों से उनके मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में अंतर्गत धारा 89 जा0दी0 मामले को सुलह समझौते से निपटाने हेतु सुलह समझौता केन्द्र उरई संदर्भित किये जाने के संबंध में पूंछा गया तो पक्षकारों द्वारा याचित अनुतोष के आधार पर सुलह समझौते की सम्भावना से इनकार कर दिया गया। अतः मामले की प्रकृति को देखते हुए पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं:

1. क्या वादिनी, प्रतिवादिनी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादिनी संख्या 2 के हक में विवादित मकान/दुकान के किये गये पंजीकृत बैनामे दिनांकित 09.09.2021 एवं 12.10.2021 को वाद पत्र में वर्णित आधारों पर शून्य व निष्प्रभावी घोषित करा पाने की अधिकारिणी है?
2. क्या दावा वादिनी अल्पमूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्यायाशुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या दावा वादिनी पोषणीय नहीं है?
4. क्या दावा वादिनी धारा 34 एवं 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
5. क्या दावा वादिनी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 से बाधित है?
6. क्या दावा वादिनी आदेश 7 नियम 3 जा0दी0 से बाधित है?
7. क्या वादिनी किसी अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही किसी अन्य वाद बिन्दु को बनाये जाने पर पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02 दिनांक 25.05.2023 को पेश हो।

सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।